कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/एफ–4/विदेश यात्रा/1260/2019/ **दिनांक– 11.02.19**

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा,
जयपुर।

विषयः–श्रीमति उर्मिला शर्मा, अध्यापिका राउप्रावि,पाडली परसा सांगानेर जिला जयपुर को विदेश यात्रा की अनुमति बाबत।

प्रसंगः–आपका पत्रांक 508 दिनांक 07.02.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, श्रीमति उर्मिला शर्मा,अध्यापिका राउप्रावि, पाडली परसा सांगानेर जिला जयपुर कि जनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.03.1994 है तथा राज्य सेवा मे स्थाई रुप से कार्यरत है, को दिनांक **25.04.2019 से 18.06.2019** तक की अवधि में **यूएसए कनाडा** हेतु विदेश यात्रा की अनुमति निम्नांकित शर्तो के तहत प्रदान की जाती हैः–

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नही करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार मे आवेदित अवकाश मे किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नही होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नही आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. विदेश मे किसी प्रकार का अध्ययन नही करेंगे।
4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नही किया जाएगा।
5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नही किया जायेगा एवं नां ही राजकीय स्त्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नही करेंगे।
8. विदेश प्रवास के दौरान जहॉ–जहॉ पर रहेंगे उनके पतों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराऐंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
10. विदेश यात्रा अवधि मे शाला मे अध्ययन कार्य बाधित नही होना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि)
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थः–

1. श्रीमति उर्मिला शर्मा, अध्यापिका राउप्रावि,पाडली परसा सांगानेर जिला जयपुर
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रशि)
राजस्थान बीकानेर